बन्द सिनेमाओं को खोलने, वर्तमान में संचालित सिनेमाओं को अधिक लाभप्रद बनाने तथा नये सिनेमा/मल्टीप्लेक्स के निर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से समग्र योजना

(शासनादेश संख्या–564/11–6–2017–एम(34)/17 दिनांक 28 जुलाई, 2017)

- बन्द पड़े अथवा संचालित सिनेमाघरो को पूर्ण रूप से तोड़कर व्यवसायिक काम्पलेक्स सहित सिनेमाधरों के निर्माण हेतु राज्य मॉल एवं सेवा कर से प्रथम तीन वर्ष में 100 प्रतिशत एवं शेष 02 वर्ष में 75 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा।

- बन्द एवं संचालित सिनेमाघरों के भवन को रिमॉडल करने पुनः संचालित किये जाने पर राज्य मॉल एवं सेवा कर से प्रथम 03 वर्ष में 75 प्रतिशत तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा।

- बन्द सिनेमाघरों को यथास्थिति संचालित करने वाले सिनेमाघरों को प्रथम तीन वर्ष में 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा।

- व्यावसायिक गतिविधियों सहित/रहित, एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण की योजना को यथावत रखते हुये समेकित प्रोत्साहन योजना में सम्मिलित कर लिया गया है जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं नगर निगम में प्रथम वर्ष में 100 प्रतिशत,द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में 75 प्रतिशत तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 50 प्रतिशत एवं अन्य क्षेत्र में प्रथम तीन वर्ष में 100 प्रतिशत तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 75 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा।

- मल्टीप्लेक्स निर्माण योजना को समेकित योजना में शामिल कर लिया गया है जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं नगर निगम में प्रथम वर्ष में 100 प्रतिशत, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में 75 प्रतिशत तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 50 प्रतिशत एवं अन्य क्षेत्र में प्रथम तीन वर्ष में 100 प्रतिशत तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 75 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा।

- ऐसे जनपद जहॉ पूर्व से 01 भी मल्टीप्लेक्स संचालित नहीं है , ऐसे जनपदों में प्रथम संचालित होने वाले मल्टीप्लेक्स को प्रथम 06 वर्ष तक 100 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा।

- सिनेमाघरों के उच्चीकरण की योजना को यथावत रखते हुये समेकित प्रोत्साहन योजना में सम्मिलित कर लिया गया है जिसमें एयर कंडीशनिंग/एयर कूलिंग, जेनरेटर सेट क्रय, ध्वनि प्रणाली के आधुनिकीकरण, सो सीट बदलने, फाल्स सीलिंग, डिजिटल प्रक्षेपण प्रणाली एवं सौर उर्जा पर आधारित संयंत्र लगाये जाने हेतु छविगृह में निवेश की गयी धनराशि की 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान अनुमन्य होगा।

उपर्युक्त प्रोत्साहन योजना का शासनादेश दिनांक 28.07.2017 ''शासनादेश'' लिंक पर उपलब्ध है।